



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18032021-225986
CG-DL-E-18032021-225986

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 150]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 18, 2021/फाल्गुन 27, 1942

No. 150]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 18, 2021/PHALGUNA 27, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मार्च, 2021

सं. 14/2021-सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 199(अ).—जहां कि चीन जनवादी गणराज्य (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित “फेस्ड ग्लास वूल इन रोल्स” (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है), जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 7019 90 10, 7019 90 90, 7019 19 00, 7019 39 00 और 7019 59 00 के अंतर्गत आता है, के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी फाइल संख्या 6/23/2019-डीजीटीआर, दिनांक 22 दिसम्बर, 2020 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग I, खंड 1 में प्रकाशित अपने अंतिम निष्कर्षों में इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि –

- विषयगत वस्तु का विषयगत देश से भारत को निर्यात इसके सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर किया गया था;
- इससे यहां के घरेलू उद्योग को सारवान क्षति हुई है;
- यह सारवान क्षति विषयगत देश से विषयगत वस्तु के फालतू आयात के कारण हुई है;

और उन्होंने घरेलू उद्योग को हुई इस क्षति को दूर करने के लिए विषयगत देश में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित विषयगत वस्तु के आयात पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाने की सिफारिश की है।

अतः अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 20 के साथ पठित उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, उक्त निर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एतद्वारा, विषयगत वस्तु, जिसका विवरण नीचे सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है, जो कि उक्त सारणी के कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद के अंतर्गत आती हैं, कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश में मूलतः उत्पादित है, कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश से निर्यातित है, कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादकों से उत्पादित है और भारत में आयातित है, पर कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट राशि के बराबर की दर से, कॉलम (8) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मुद्रा में और कॉलम (9) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट माप इकाई के अनुसार प्रतिपाटन शुल्क लगाती है, यथा -

सारणी

क्र.सं.	टैरिफ मद	वस्तु का विवरण	मूलतः उत्पादन का देश	निर्यातक देश	उत्पादक	शुल्क की राशि	मुद्रा	इकाई
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	7019 90 10, 7019 90 90, 7019 19 00, 7019 39 00, 7019 59 00	*फेस्ड ग्लास बूल इन रोलस्	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य समेत कोई भी देश	ओवेन्स कोर्निंग गुआंगझो फाईबर ग्लास कंपनी लिमिटेड	14.60	संयुक्त राज्य अमेरिकी डॉलर	मिलियन टन
2	-तदैव-	-तदैव-	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य समेत कोई भी देश	उपर्युक्त क्रम संख्या 1 से भिन्न कोई भी	400.23	संयुक्त राज्य अमेरिकी डॉलर	मिलियन टन
3	-तदैव-	-तदैव-	चीन जनवादी गणराज्य से भिन्न कोई भी देश	चीन जनवादी गणराज्य	कोई भी	400.23	संयुक्त राज्य अमेरिकी डॉलर	मिलियन टन

*फेस्ड ग्लास बूल इन रोलस् में "फ्लैट/टेबुलर फार्म में होने वाले फेस्ड ग्लास बूल" जैसे कि टाइल्स, शीट्स और बोर्ड्स नहीं आते हैं।

2. इस अधिसूचना के अंतर्गत लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक (यदि इससे पहले इसे वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं होता है, या इसमें संशोधन नहीं होता है तो) लागू रहेगी और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा।

स्पष्टीकरण: इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी

किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई होगी और इस विनियम दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी।

[फा. सं. 354/25/2021-टीआरयू]

राजीव रंजन, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th March, 2021

No. 14/2021-Customs (ADD)

G.S.R. 199(E).—Whereas, in the matter of ‘Faced Glass Wool in Rolls’ (hereinafter referred to as the subject goods) falling under tariff items 7019 90 10, 7019 90 90, 7019 19 00, 7019 39 00 and 7019 59 00 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), originating in, or exported from People’s Republic of China (hereinafter referred to as the subject country), and imported into India, the Designated Authority in its final findings, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, *vide* F. No. 6/23/2019-DGTR, dated the 22nd December, 2020, has come to the conclusion that,-

- (i) the subject goods have been exported to India from the subject country below their normal values;
- (ii) the domestic industry has suffered material injury;
- (iii) the material injury has been caused by the dumped imports of subject goods from the subject country,

and has recommended imposition of definitive anti-dumping duty on imports of the subject goods, originating in, or exported from the subject country and imported into India, in order to remove injury to the domestic industry.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, read with rules 18 and 20 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, after considering the aforesaid final findings of the designated authority, hereby imposes on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under tariff items of the First Schedule to the Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), originating in the country as specified in the corresponding entry in column (4), exported from the country as specified in the corresponding entry in column (5), produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (6), imported into India, an anti-dumping duty at the rate equal to the amount as specified in the corresponding entry in column (7), in the currency as specified in the corresponding entry in column (8) and as per the unit of measurement as specified in the corresponding entry in column (9) of the said Table, namely:-

TABLE

S. No.	Tariff item	Description of goods	Country of origin	Country of export	Producer	Duty Amount	Currency	Unit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	7019 90 10, 7019 90 90, 7019 19 00, 7019 39 00, 7019 59 00	Faced Glass Wool in Rolls*	People's Republic of China	Any country including People's Republic of China	Owens Corning Guangzhou Fiberglass Co Ltd	14.60	United States Dollars	Million Tonnes
2.	-do-	-do-	People's Republic of China	Any country including People's Republic of China	Any other than Sl. No. 1 above	400.23	United States Dollars	Million Tonnes
3.	-do-	-do-	Any country other than People's Republic of China	China PR	Any	400.23	United States Dollars	Million Tonnes

*Faced Glass Wool in Rolls excludes "Faced Glass wool in flat / tabular form" such as tiles, sheets or boards

2. The anti-dumping duty imposed under this notification shall be effective for a period of five years (unless revoked, superseded or amended earlier) from the date of issuance of this notification and shall be paid in Indian currency.

Explanation. For the purposes of this notification, rate of exchange applicable for the purpose of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Customs Act.

[F. No. 354/25/2021-TRU]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.